[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं0 01 / 2018-सेवा कर

नई दिल्ली, 30 नवंबर, 2018
9 अग्रहारण, 1940 शक

सा0का0नि0.....(अ)- केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 1 जुलाई, 2012 से प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2017 को समाप्त होने वाली अवधि में (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अवधि कहा गया है), ऐसी प्रथा के अनुसार, जो साधारणतया प्रचलित थी, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 3 की उपधारा (7) में यथा परिभाषित ''स्थानीय प्राधिकारियों'' द्वारा "मार्गाधिकार" के रूप में दी गई सेवाओं पर सेवा कर का उद्ग्रहण नहीं किया गया था और यह सेवा उक्त अवधि में ऐसे सेवा कर के लिए दायी थी, जो उक्त प्रथा के अनुसार संदत्त नहीं किया जा रहा था ।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 11ग और केंद्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 174 की उपधारा (2) के खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के प्रवृत्त होने से पहले की गई या लोप की गई बातों के संबंध में यह निदेश देती है कि भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 3 की उपधारा (7) में यथा परिभाषित ''स्थानीय प्राधिकारियों'' द्वारा उक्त अवधि में, उक्त प्रथा के कारण ''मार्गाधिकार'' के रूप में दी गई सेवाओं पर, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66ख के अधीन संदेय सेवा कर संदत्त किया जाना अपेक्षित नहीं होगा ।

30.11.2018

(डा. श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

[फा0 सं0 137/12/2018-सेवा कर]